संख्या : 5 /2026/बी-1- 813 /दस-2026-146/2004

[वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ई.पत्रा.सं.-10-5002/115/2021]

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 30 मार्च, 2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-2027 में माह मार्च, 2026 के वेतन का भुगतान ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक अनुदान की माँगें विधान मण्डल द्वारा पारित हो चुकी हैं तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1- 812 /दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 (शासनादेश की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव एवं सचिवालय के समस्त अनुभागों को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं ।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में, राज्य कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों / विश्वविद्यालयों / चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माह मार्च, 2026 के वेतन का भुगतान माह अप्रैल, 2026 में सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in